न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2018/15 70 दिनांक – 24/7/2018

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1 अचलाराम 2 नेनाराम पिसरान जेठाराम जाति जाट निवासी मूले का तला पटवार क्षैत्र सरली 3 आसुराम 4 केसाराम 5 लालाराम पिसरान जेठाराम जाति जाट निवासी मातियाणियों का तला सांजटा तहसील व जिला बाडमेर।		1 रूपाराम पुत्र मंगनाराम 2 गेनाराम पुत्र [illegible] 3 [illegible] पुत्र टीकमाराम जाति जाट 4 मीनसिंह पुत्र [illegible] 5 [illegible] पुत्र भानसिंह 6 घुकसिंह पुत्र शिवदानसिंह 7 [illegible] पुत्र [illegible] जाति राजपूत 8 भूराराम 9 हीराराम 10 [illegible] पिसरान [illegible] 11 लिखमाराम पुत्र धर्माराम 12 लाखाराम पुत्र [illegible] जाति जाट निवासी गंगासरा, सरली 13 फुसाराम पुत्र दलाराम 14 [illegible] 15 [illegible] पिसरान लाभूराम 16 किशनाराम पुत्र धूडाराम 17 [illegible] पुत्र [illegible] 18 सताराम पुत्र सिदाराम 19 मगाराम 20 [illegible] पिसरान [illegible] 21 वेहनाराम पुत्र गुमनाराम जाति जाट निवासी मोतियाणियों का तला सांजटा तहसील व जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत

दिनांक–24.07.2018

राजस्व आवेदन संख्या :– 48/2018

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा मूले का तला पटवार क्षैत्र सरली तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 376 रकबा 44.08 बीघा एवं खसरा संख्या 380 रकबा 65.16 बीघा भूमि तथा मौजा मोतियाणियों का तला पटवार क्षैत्र सांजटा खसरा संख्या 117, 123, 172, 374, 403 रकबा क्रमशः 06.02, 07.10, 25.09, 62.10, 03.10 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखन स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति मे नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाडमेर

दिनांक– 24/7/2018

क्रमांक :– रीडर/2018/1571 – 74

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाडमेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सरली/सांजटा तहसील बाडमेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. अचलाराम पुत्र जेठाराम वगैराह जाति जाट निवासी मूले का तला पटवार क्षैत्र सरली तहसील व जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थी रूपाराम पुत्र मंगनाराम वगैराह जाति जाट निवासी गंगासरा, सरली तहसील व जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाडमेर

Scanned by CamScanner